मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 5 /07/2022

क्र. एफ 16-41/2013/बी-ग्यारह :राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स जॉन डियर इंडिया प्रा. लि. की ग्राम खटंबा, तहसील एवं जिला देवास में ट्रैक्टर निर्माण परियोजना हेतु शासनादेश दिनांक 04.10.2013 द्वारा स्वीकृत विशिष्ट सुविधाओं के संबंध में पुनर्विलोकन पर निम्नानुसार सुविधाएं दिये जाने का निर्णय लिया गया -

1. विषयांकित इकाई को शासन आदेश दिनांक 04/10/2013 द्वारा तत्समय प्रचलित उद्योग संवर्धन नीति 2010 अंतर्गत प्रावधानित उद्योग निवेश संवर्धन सहायता (वैट एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति) 75 प्रतिशत की दर से 8 वर्षों हेतु स्वीकृत की गई थी। उक्त सुविधा हेतु राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा इकाई के परिप्रेक्ष्य में सहायता अवधि परियोजना अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 22.10.2013 से दिनांक 21.10.2021 तक पात्रता निर्धारित की गई थी। समिति द्वारा इकाई के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन पर विचार करते हुये निर्णय लिया गया कि इकाई को उक्त सुविधा की पात्रता हेतु 5 वर्ष का अतिरिक्त समय स्वीकृत किया जाता है।

2/ जीएसटी व्यवस्था लागू होने के उपरांत इकाई को देय सहायता की गणना विभागीय आदेश दिनांक 22/06/2018 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
भोपाल, दिनांक 5 /07/2022

पृ. क्र. एफ 16-41/2013/बी-ग्यारह
प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन।
4. कलेक्टर, जिला - देवास।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स जॉन डियर इंडिया प्रा. लि. साईबर सिटी, मगर मट्टा सिटी, हडपसर, पुणे - 411013।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग